


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)

मधुसुदन बनाम गणेश पुत्र नाराण जाट व अन्य

धारा 111-128 एल0आर0ए

Online No. 2022/511
मुकदमा 353/2022

04.10.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 353/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री मधुसूदन पुत्र श्री प्रहलादराय नोलखा, निवासी अशोक नगर, भीलवाड़ा-राज0

बनाम

-प्रार्थी

1. श्री गणेश पुत्र नाराण जाट निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. डगमी बाई पत्नी जवाहर जाट निवासी बासो का खेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. लक्ष्मी नारायण दत्तक पुत्र कालूराम ब्राह्मण निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. कंचन पुत्र नारायण लाल ब्राह्मण निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. प्यारचन्द पुत्र मूलचन्द ब्राह्मण निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. प्रेम पत्नी नारायण लाल ब्राह्मण निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. रूपलाल पुत्र मूलचन्द ब्राह्मण निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. राजेन्द्र पुत्र नारायण लाल ब्राह्मण निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द ब्राह्मण निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. गीता पुत्री स्व. श्री नन्दा माली निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. धापू पतनी स्व. श्री नन्दा माली निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
12. बालू पुत्र स्व. श्री नन्दा माली निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
13. रुकमा पुत्री स्व. श्री नन्दा माली निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
14. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री नन्दा माली निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
15. श्यामु पुत्री श्री बालू माली, सरंक्षक मामा शंकर पुत्र नन्दा माली निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
16. नना पुत्री श्रीकिशन माली निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
17. स्रजू पत्नी श्रीकिशन माली निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
18. हगामी पुत्री श्रीकिशन माली निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
19. भागीरथ पुत्र प्रताप जाट निवासी बासो का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
20. उरजन पुत्र प्रताप जाट निवासी बासो का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
21. बद्री, बालू पुत्र लाल जाट निवासी बासो का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
22. लादी पुत्री लालू जाट निवासी बासो का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
23. सोहनी पुत्री लालू जाट निवासी बासो का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय

उपस्थित-1- प्रकाश देवाणी- प्रार्थी अधिवक्ता

दिनांक 04.10.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम आरजिया, पटवार हल्का आरजिया, भू.अ.नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 512 में खसरा नंबर 1051 रकबा 0.0126 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1069 रकबा 0.2782 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए। विपक्षी संख्या 24 की ओर से पेशकार सरकार उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 कृषि भूमि खाता संख्या 512 में खसरा नंबर 1051 रकबा 0.0126 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1069 रकबा 0.2782 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः एंव

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 512 में खसरा नंबर 1051 रकबा 0.0126 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1069 रकबा 0.2782 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सांगानेर 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सांगानेर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।


पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।



(ओम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा